

आदेश दिनांक 16/10/19 को पेशचा

16/10/19. पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिए जाने पर भी न तो वादी गण एवं न प्रतिवादी गण स्वयं उपस्थित। अतः न्यायालय सि. प्र. सं., 1908 के आदेश 9 नियम 3 के तहत वाद का खारिज करने का आदेश देता हूँ।

16.10.19

